प्रेस नोट

दिनांक 20.08.2026, थाना कोतवाली नगर,

जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-766/2026, धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त- रमनशंकर तिवारी पुत्र विनय शंकर तिवारी निवासी ग्राम सोनी हरलाल पोस्ट बभनी कानूनगो थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी वेद प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 राघवराम तिवारी निवासी निवासी ग्राम सोनीहरलाल पो0बभनी कानूनगो थाना को0नगर जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि 19.08.2026 को वे अपना दुकान बन्द करके घर का सामान लेने अपने भतीजे के साथ पहुचे कि विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिये। जिसे वादी व उनके भतीजे का सर फट गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 20..08.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी अभियुक्त- रमनशंकर तिवारी पुत्र विनय शंकर तिवारी निवासी ग्राम सोनी हरलाल पोस्ट बभनी कानूनगो थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रमनशंकर तिवारी पुत्र विनय शंकर तिवारी निवासी ग्राम सोनी हरलाल पोस्ट बभनी कानूनगो थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-766/2026, धारा 109(1) बीएनएस कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 संदीप कुमार
02. का0 कुलदीप यादव
03. का0 संचिन कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 20.08.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष कारावास व रूपये 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 29.11.2019 को शाम 7.00 बजे उसको खाना देने गाँव के बाहर मड़हे पर गयी थी खाना देकर मड़हे के पूरब शौच के लिए गयी तो गाँव का ही विपक्षी संदीप लोनिया पुत्र विश्राम पीछे से पहुच कर जबरदस्ती दुराचार किया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त 01. संदीप लोनिया को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 20.08.2026 को अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना उमरीबेगमजं के पैरोकार का0 उपदेश वर्मा व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त संदीप लोनिया को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व रु0 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. संदीप लोनिया पुत्र विश्राम निवासी चंगेरी थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 14/2020, धारा 376, 323, 506 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।